हरि किशन बनाम हरियाणा राज्य
(एम. एस. लिब्रहान, जे.)

(9) परिणामस्वरूप, हम रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा पारित 3 दिसंबर, 1990 के प्रस्ताव को रद्द करते हैं और भूमि की बिक्री के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति को भी रद्द करते हैं।याचिकाकर्ताओं के पास उनकी लागत होगी जिसका आकलन रु। 5, 000।

जे. एस. टी"

इससे पहले माननीय एम. एस. लिब्रहान और सत पाल, जे. जे.

हरि किशन-याचिकाकर्ता

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता

1995 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 11587

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/227-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 189 ए-धारा 18-अस्वीकार संदर्भ- अधिकार का प्रश्न-कलेक्टर द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है-सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश है-जिला न्यायाधीश को संदर्भ दिया जाना है, जहां राज्य अधिकार के संबंध में आपत्ति उठा सकता है।8जनवरी, 1986

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की खंड 18 को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर को संपत्ति के संबंध में स्वामित्व निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि याचिकाकर्ता को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जो मालिक होने का दावा करता है, तो यह केवल वैधानिक मध्यस्थ यानी जिला न्यायाधीश है, जो पक्षों के अधिकारों का निर्धारण कर सकता है, यानी दावेदार को मुआवजा देने के लिए राज्य का दायित्व।उपरोक्त दृष्टिकोण को शाम लाल और अन्य बनाम उजागर सिंह (मृत) से पूर्ण समर्थन मिलता है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके एल. आर. एस. द्वारा किया गया है और एक अन्य जिसमें इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा यह कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को याचिकाकर्ता के अधिकार और स्वामित्व दावे को निर्धारित करने की कोई न्यायिक शक्ति नहीं है।

एस. एन. सैनी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए आर. सी. सेतिया, अतिरिक्त ए. जी., हरियाणा।

आदेश

(1) खसरा नं. 1 के संबंध में केवल विवाद बचा है। 94/3/2 जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत मुआवजे का दावा किया था क्योंकि उसे भुगतान नहीं किया गया था और किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान किया गया था। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि मुआवजे के भुगतान के निर्धारण के लिए दावा जिला न्यायाधीश को भेजा जाए। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने इस आधार पर इस तर्क का खंडन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में मालिक के रूप में दर्ज व्यक्ति को मुआवजे की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और कलेक्टर ने पहले ही स्वामित्व के प्रश्न का निर्णय ले लिया है और एक अलग व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान कर दिया है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में प्रथम दृष्टया मालिक दिखाया गया है। दूसरा, याचिकाकर्ता को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

(2) (2) हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों से बल पाते हैं। अधिनियम की धारा 18 को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर को संपत्ति के संबंध में स्वामित्व निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि याचिकाकर्ता को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जो मालिक होने का दावा करता है, तो यह केवल वैधानिक मध्यस्थ है जो जिला न्यायाधीश है, जो पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण कर सकता है जो दावेदार को मुआवजा देने के लिए राज्य का दायित्व है। उपरोक्त दृष्टिकोण को शाम लाल और अन्य बनाम उजागर सिंह (मृत) से पूर्ण समर्थन मिलता है जिसका प्रतिनिधित्व उनके एल. आर. और अन्य द्वारा किया जाता है।' (1) जहां इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को याचिकाकर्ता के अधिकार और स्वामित्व दावे को निर्धारित करने की कोई न्यायिक शक्ति नहीं है।

1. 1979 पीबी। लॉ रिपोर्टर 582।

परदमन सिंह बनाम पंजाब राज्य (अशोक भान, जे.)

नतीजतन, एक खसरा संख्या **के** संबंध में रिफ़रेंस को अस्वीकृत करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अस्वीकृत संदर्भ **को** कायम नहीं रखा जा सकता है।प्रतिवादी **को** निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता **के** पूरे दावे को जिला न्यायाधीश के पास **भेजें,** जिसमें राज्य याचिकाकर्ता के अधिकार के संबंध में आपत्ति लेने के लिए स्वतंत्र होगा।ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी को खसरा संख्या 94/3/2 के संबंध में चार सप्ताह के भीतर संदर्भ देने का निर्देश दिया जाता है।

इस निर्देश के साथ इस रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया है।_____

इससे पहले माननीय अशोक भान और ***एन. के. सोधी, जे. जे.***

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अवीषेक गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हिसार, हरियाणा